न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 349 / 2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 517
दायर दिनांक :– 23.12.2024 निर्णय दिनांक :– 03.06.2025

1. हीराराम पुत्र फूलाराम जाति विश्नोई निवासी कौशलगनर, जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. चावली पत्नि अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी कौशलनगर तहसील बाप जिला फलोदी
3. चावली पत्नि श्रवणकुमार जाति विश्नोई निवासी कौशलगनर तहसील बाप जिला फलोदी
4. बंशीलाल पुत्र जगमालराम जाति विश्नोई निवासी कौशलगनर तहसील बाप जिला फलोदी
5. मेनका पत्नि हेतराम जाति विश्नोई निवासी कौशलगनर, जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
6. मैनका पत्नी शंकरलाल जाति विश्नोई निवासी कौशलगनर, जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
7. सोमराज पुत्र गंगाराम जाति विश्नोई निवासी कौशलगनर, जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री राजेन्द्रसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 461 / 2 रकबा 6.7987 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 461 रकबा 19.8943 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 461 / 1 रकबा 9.7124 हैक्टेयर सरहद मौजा कौशलनगर पटवार क्षेत्र जाम्बा तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। प्रार्थी का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 461 कुल रकबा 224–13 बीघा भूमि आई हुई थी जिसमें से अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 के पूर्वज बंशीलाल को रकबा 60–00 बीघा भूमि का प्रार्थी द्वारा बैचान करके बैचान की गई भूमि का अपने खेत के एक तरफ कब्जा सुपुर्द कर दिया था तथा शेष अपना खेत एक ही चक के रूप में रखा था। लेकिन पटवारी हल्का ने प्रार्थी के एक चक के रूप में आये हुए खेत का अलग–अलग करके दो टुकडे कर दिये तथा बिना कोई विभाजन किये हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के एक चक के रूप में आये हुए खेत को दो अलग–अलग टुकडों के रूप में करने का कोई हक व अधिकार नहीं होने से वर्तमान सेग्रिकेशन

03/6/25
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

में की गई तरमीम दुरूस्त किये जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिये ग्राम कौशलनगर पटवार क्षेत्र जाम्बा तहसील बाप के खसरा नम्बर 461/2 रकबा 6.7987 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 461 रकबा 19.8943 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 461/1 रकबा 9.7124 हैक्टेयर भूमि के नक्शा लट्ठा में की गई विधि विरूद्व तरमीम को निरस्त करवा कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने का अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे प्रार्थना पत्र का अभिनन भाग माना व समझा जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 की और से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोलंकी ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5 ता 7 की ओर से कोई उपस्थित नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम कौशलनगर पटवार क्षेत्र जाम्बा तहसील बाप के खसरा नम्बर 461/2 रकबा 6.7987 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 461 रकबा 19.8943 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 461/1 रकबा 9.7124 हैक्टेयर की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में हो रखी है। अप्रार्थी संख्या 4 के जवाब एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम खातेदारान के कब्जा व काश्त, आवंटन एवं विक्रय पत्र में दर्शाये पडौस अनुसार नक्शा लट्ठा में अंकित है इसी अनुसार वर्तमान भू-नक्शा में भी अंकित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश्वर पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)